निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 06/2020 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती कमला उर्फ गुड्डी देवी पत्नी स्व॰ श्री मूलचन्द निवासी बस्सी नागा, तहसील फुलेरा, पुलिस थाना जोबनेर, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. नरेश काला पुत्र श्री मूलचन्द
2. हीरालाल पुत्र श्री मूलचन्द
3. मिथुन काला पुत्र श्री मूलचन्द
4. श्रीमती रोशन देवी पत्नी श्री नरेश काला
5. श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री हीरालाल
6. श्रीमती आशा देवी पत्नी हीरालाल

समस्त निवासी बस्सी नागा, तहसील फुलेरा, पुलिस थाना जोबनेर, जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2020 उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक प्रकरण संख्या 4/2020 ब–उनवानी श्रीमती कमला उर्फ गुड्डी देवी बनाम नरेश काला व अन्य

उपस्थित :–

1. अपालर्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 14.9.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी फुलेरा के प्रकरण संख्या 4/2020 ब–उनवानी श्रीमती कमला उर्फ गुड्डी देवी बनाम नरेश काला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.08.2020 से व्यथित हो कर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी 2, 5 व 6 दिनांक 17.08.2021 को उपस्थित हुये । इसके पश्चात दोराने बहस उपस्थित नही है। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 की माता एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 6 की सास लगती है। जो एक हिन्दू परिवार के सदस्य है। अपीलार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थिया एक वृद्व विधवा महिला है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 आदतन शराबी व्यक्ति है तथा बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो पूर्व में कई बार जेल जा चुके है तथा पुलिस ने कई बार इनको गिरफ्तार किया है। अपीलार्थिया वृद्व

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

महिला है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा आय का कोई स्त्रोत नही है। अपीलार्थिया को उसके पति की मृत्यु के बाद प्रत्यर्थीगण मिलकर आये दिन मारपीट करते है एवं गाली गालैच करते है तथा अपीलार्थिया के पति द्वारा छोड़े गये मकान में से व उसकी सम्पत्ति में से प्रत्यर्थीगण ने मारपीट कर के घर से निकाल दिया है। अपीलार्थीया के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अपीलार्थिया हाल में अपनी पुत्री लाली देवी के पास कस्बा बगरू में रह रही है जिसका प्रत्यर्थीगण कोई भरण पोषण नहीं कर रहे है। अपीलार्थिया अक्सर बीमार रहती है तथा चलने फिरने में असमर्थ है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया का किसी प्रकार से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है और ना ही सेवा सुश्रुषा की जा रही है। अपीलार्थिया को उसके पति के मकान, गुवाडी व आवासीय मकान सम्पति में नहीं रहने दिया जा रहा है और अपीलार्थिया को नाजायज हैरान व परेशान किया जा रहा है। अपीलार्थिया को दिनांक 02.07.2020 को प्रत्यर्थीगण ने मारपीट कर घर में से घसीट कर बाहर निकाल दिया और अपीलार्थिया को उसके पति के आवासीय मकान में नहीं रहने दे रहे है। अपीलार्थिया को भरण पोषण के रूप में प्रत्येक प्रत्यर्थीगण से 10,000/– रूपये प्रति माह के हिसाब से 30,000/– भरण पोषण राशि दिलवाया जावे तथा अपीलार्थिया को उसके पति द्वारा बनाये गये मकानात, गुवाडी व सम्पत्ति में शान्तिपूर्वक रहने की व्यवस्था कराई जावे ताकि अपीलार्थिया अपना बकाया भावी जीवन शान्ति पूर्व गुजार सके। अधीनस्थ अधिकरण ने दिनांक 31.08.2020 को आदेश पारित करते हुये अपीलान्ट का आवेदन आंशिक रूप से ही स्वीकार किया एवं अनुतोष को मात्र अत्यन्त कम देते हुये प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 से प्रत्येक से केवल 500–500 कुल 1500/– रूपये ही भरण पोषण हेतु दिलाये जाने व प्रार्थिया को मकान में एक कमरा दिनचर्या हेतु सुविधा नियमित, भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा व दवाई की व्यवस्था करने के आदेश पारित किये जो अत्यन्त कम है। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 ड्राईवरी पेशा व्यक्ति है तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 6 सिलाई व मजदूरी का कार्य करती है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण प्रति माह 2,00,000/– रूपये की आय अर्जित कर रहे है। प्रत्यर्थीगण ऐसा आराम की जिन्दगी बिता रहे है । जबकि अपीलार्थिया कोई काम नहीं जानती है। वह वृद्व एवं बेसहारा महिला है। उसकी आय का कोई साधन नही है। इसके बावजूद इतनी कम भरण पोषण राशि के आदेश पारित किये है। अपीलार्थिया के लिए प्रत्यर्थीगण को रिहायश के लिए भी कोई ठोस आदेश नहीं दिये गये है। इस कारण प्रत्यर्थीगण अपीलार्थिया को कोई रिहायशी परिसर/कमरा/लेटबाथ उपलब्ध नहीं करा रहे है। जिस कारण अपीलार्थिया का रहना दूभर हो गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण के आलौच्य आदेश दिनांक 31.08.2018 को अनुतोष की मात्रा की हद तक अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थिया को प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 से प्रत्येक से 10,000/– रूपये कुल 30000/– रूपये प्रति माह भरण पोषण राशि दिलाई जावे एवं प्रत्यर्थीगण को ग्राम बस्सी नागा तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित अपीलार्थिया के पति की रिहायशी सम्पत्ति में एक कमरा, रसाई, लेट बाथ की सुविधा मय पानी बिजली सहित उपलब्ध कराये जाने के आदेश फरमावे।

5. अपीलार्थी द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 प्रत्येक से दस दस हजार रूपया कुल 30,000/–भरण पोषण दिलाये जाने की मांग की है। जबकि अधिनियम में अधिकतम दस हजार रूपये भरण

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। उसमें भी प्रत्यर्थीगण की आय के आधार पर ही राशि निर्धारित की जाती है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 का पेशा ड्राईवरी का बताया है तथा आय प्रति माह 2,00,000/–रूपये की बताई है, किन्तु इसकी पुष्टि में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। ड्राईवर को आम तौर पर 10–12 हजार रूपया प्रति माह वेतन मिलता है। जिसमें उसको परिवार की जिम्मेदारियां भी पूर्ण करनी होती है। इसलिए अपीलार्थी का भरण पोषण बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नही है। अपीलार्थिया को पेन्शन के 750/– रूपया मिलते है और अपीलार्थिया को प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 से 500/– रूपया प्रति प्रत्यर्थी के हिसाब से कुल 1500/–बतौर भरण पोषण राशि का भुगतान किये जाने बाबत अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित है। अपीलार्थिया ने ग्राम बस्सी नागा तहसील फुलेरा जिला जयपुर स्थित अपने पति की सम्पत्ति में एक कमरा रसाई लेटबाथ की सुविधा चाही है। जिसके लिए अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी के पति की सम्पत्ति मकान में एक कमरा दैनिक दिनचर्या हेतु सुविधा नियमित भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा व दवाई आदी की व्यवस्था करने हेतु प्रत्यर्थीगण को पावन्द किया गया है जो उचित है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती हे।

7. अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक अपीलाधीन आदेश की पालना एवं अपीलार्थिया यदि अपने पति के मकान ग्राम बस्सी नागा तहसील फुलेरा जिला जयपुर में रहना चाहे तो उक्त मकान में रहने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करे।
8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

14/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर